प्रेस नोट
दिनांक 23.02.2026

थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा 03 हत्याभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार–

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री अभिषेक दवाच्या के नेतृत्व में थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस से संबंधित 03 वांछित अभियुक्तों–01. हरिशरण मिश्रा पुत्र रामगुलाम मिश्रा, 02. रामकेवल मिश्रा पुत्र स्व0 राजेश्वरी मिश्रा, 03. संतोष कुमार मिश्रा पुत्र गंगाशरण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.02.2026 को थाना कर्नलगंज पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्रान्तर्गत सुदईपुरवा दत्तनगर में दो पक्षों में जो आपस में संगे भाई पट्टीदार है के बीच जमीन के कब्जेदारी को लेकर विवाद व मारपीट हो गयी है। घटना में 03 लोग सुभाष चन्द्र मिश्रा, विश्वास चन्द्र मिश्रा व आकाश मिश्रा घायल हो गए जिन्हे पुलिस द्वारा उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां उपचार के दौरान सुभाष चन्द्र मिश्रा पुत्र स्व0 पारस नाथ मिश्रा की मृत्यु हो गयी। प्रकरण के सम्बन्ध में थाना कर्नलगंज में मृतक के संगे भाई अरूण मिश्रा पुत्र स्व0 पारसनाथ मिश्रा समेत 04 नामजद व अज्ञात अभियुक्तों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा घटना को संज्ञान में लेकर तत्काल आरोपी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्र0नि0 को0 कर्नलगंज को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए गए थे। जिसमें थाना कर्नलगंज पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 03 नामजद अभियुक्तों– 01. हरिशरण मिश्रा पुत्र रामगुलाम मिश्रा, 02. रामकेवल मिश्रा पुत्र स्व0 राजेश्वरी मिश्रा, 03. संतोष कुमार मिश्रा पुत्र गंगाशरण मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्तगण का नाम पता–

01. हरिशरण मिश्रा पुत्र रामगुलाम मिश्रा नि0 सुदईपुरवा दत्तनगर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
02. रामकेवल मिश्रा पुत्र स्व0 राजेश्वरी मिश्रा नि0 सुदईपुरवा दत्तनगर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।
03. संतोष कुमार मिश्रा पुत्र गंगाशरण मिश्रा नि0 सुदईपुरवा दत्तनगर थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–105/26 धारा 191(2),190,115(2),117(2),103(1),109,351(3) बीएनएस थाना कर्नलगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. प्र0नि0 नरेन्द्र प्रताप राय थाना कर्नलगंज।
02. उ0नि0 अश्रय मिश्रा।
03. उ0नि0 सरफराज खान।
04. उ0नि0 गुफरान।
05. हे0का0 दीपक मिश्रा।
06. हे0का0 वकील सिंह।
07. का0 हिमांशु।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 23.02.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने व अश्लील वीडियों वायरल करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई सजा–

दिनांक 01.06.2022 को थाना को0 नगर क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना को0 नगर में लिखित तहरीर दी गयी कि विपक्षीगण अभियुक्त तौफीक आलम पुत्र बुच्ची, बुच्ची पुत्र मजीद, श्रीमती नसरीन पत्नी बुच्ची तथा तैसीफ आलम पुत्र बुच्ची द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री (उम्र लगभग 17 वर्ष) को बहला–फुसलाकर उसकी अश्लील फोटो एवं वीडियो बना ली गईं। उक्त आपत्तिजनक सामग्री के आधार पर अभियुक्त तौफीक आलम द्वारा पीड़िता को ब्लैकमेल कर अनुचित कार्य हेतु दबाव बनाया जाता रहा तथा वादी से ₹05 लाख की अवैध मांग की गई। वादी द्वारा धनराशि देने में असमर्थता व्यक्त करने पर अभियुक्त द्वारा फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी गई। दिनांक 29.05.2022 को समय लगभग 11:00 बजे दिन में वादी समझौते व प्रतिष्ठा की रक्षा हेतु अभियुक्तगण के घर गया, जहां सभी अभियुक्तगण एक राय होकर धन की मांग को लेकर वादी को धमकाने लगे। विरोध करने पर गाली–गलौज करते हुए जानमाल की धमकी दी गई तथा तत्पश्चात उक्त आपत्तिजनक फोटो/वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिए। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0 नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना को0 नगर पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 31.07.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 23.02.2022 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना, थाना को0 नगर के पैरोकार का0 बृजेश यादव की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त अभियुक्त 5 वर्ष का सश्रम कारावास व 35,000/– के अर्थदण्ड, अभियुक्त बुच्ची को 2 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/– के अर्थदण्ड व अभियुक्ता नसरीन बानों को 02 वर्ष का कारावास व 5,000/– के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. तौफीक पुत्र बुच्ची नि0 घोसियाना केशवपुर पहाड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. बुच्ची पुत्र मजीद नि0 घोसियाना केशवपुर पहाड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
03. नसरीन बानों पत्नी बुच्ची नि0 घोसियाना केशवपुर पहाड़वा थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–365/2022, धारा 354,354सी,504,506,389 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट व 66 आई0टी0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।